उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार।

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू.डि.) परीक्षा–2015

विज्ञापन संख्याः– ए–4/ई–2/2015–16

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि –20.10.2015

ऑन लाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि – 03.11.2015 (मंगलवार) (समय रात्रि 11:59)

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि –07.11.2015 (शनिवार)

वेबसाइट–www.ukpsc.gov.in Mobile No. -7060002410
Email-soexamtwo2@gmail.com

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2010 के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(2) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 03.11.2015 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

(5) ऑन–लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाति अध्ययन कर लें तथा ऑन लाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें।

(7) –प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं बैंक चालान के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र होने की दशा में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(9) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र "Submit" बटन को "Click" करने पर ही "Online Application" प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

(10) अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट–1, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट–2 तथा आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट–3 का अवलोकन करें।

(11) प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन जनवरी 2016 के द्वितीय सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है।

(12) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन पत्र अवश्य भर लें।

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु हरिद्वार नगर के विभिन्न केन्द्रों पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने की दशा में विज्ञापन के **''परिशिष्ट–1''** में उल्लिखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। रिट याचिका संख्या–163 (एस0/बी0) ऑफ 2007 मलिक मजहर सुल्तान बनाम लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड व अन्य के मामले में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2008 को पारित निर्देशों के अनुसार आयोग प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के ''कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान'' के परीक्षण हेतु एक प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित करेगा। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्रों/परीक्षा तिथि के संबंध में सूचना उन्हें आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेगे। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट **www.ukpsc.gov.in** पर दिनांक 03.11.2015 ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2. रिक्तियों का विवरण : कुल पद–15

श्रेणी	रिक्तियॉ	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्तियॉ
		उ0 म0
अनारक्षित	05	01
अनुसूचित जाति	07	02
अनुसूचित जनजाति	01	–
अन्य पिछड़ा वर्ग	02	01
योग	**15**	

नोट–

(i) रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

3. पद का स्वरूप :– राजपत्रित।

4. वेतनमान एवं पेंशन :– रू0 27,700–770–33,090–920–40,450–1080–44,770 अंशदायी पेंशन योजना।

5. अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को –

(क) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक।

(ख) देवनागरी लिपि में हिन्दी का सम्यक् ज्ञान होना चाहिए।

(ग) कम्प्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए।

6 आयु :– आयु की गणना निश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2015 है। इस तिथि को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 22 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जनवरी, 1980 से पूर्व 1 जनवरी, 1993 के बाद का नहीं होना चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

7. अधिकतम आयु सीमा में छूटः विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

8. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

9. **यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।**

10. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। कुछ निर्धारित प्रारूप इस विज्ञापन के **"परिशिष्ट–3"** में उल्लिखित हैं।

11. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्व बर्मा), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार के पूर्वी अफ्रिकी देशों से प्रवर्जन किया हो) :

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए भी उप–पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से संबंधित हैं तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :– ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसके लिए पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह कि आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

12. चरित्र :– सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस विषय में समाधान करेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से संबंद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पदच्युत या भारत अथवा किसी अन्य राज्य की विधिक परिषद् (बार कॉउन्सिल) द्वारा अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने से प्रतिबन्धित या नैतिक अधमता के लिए भारतीय दण्ड संहिता अथवा तत्समय प्रवृत किसी अवधि के अधीन सिद्ध दोष या कारावास का दण्ड पाये व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

13. वैवाहिक प्रास्थिति :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से मुक्त कर सकेगी।

14. शारीरिक योग्यता :– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे आयुर्विज्ञान परिषद् का स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

15. आवेदन कैसे करें :– इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं–

आनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	03.11.2015 (मंगलवार)
परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि	07.11.2015 (शनिवार)

16. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर जाएं।

(2) वेबसाइट पर "**Examination**" शीर्षक को Click करें एवं लिंक बटन **New User Sign Up** में प्रवेश करें।

(3) लिंक बटन "**New User Sign Up**" के अन्तर्गत अभ्यर्थी को लिंक बटन **New Registration** दिखाई देगा, जिसमें निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं से सम्बन्धित प्रविष्टियां भरें, एवं प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँचने के उपरान्त **Submit** करें।

(4) पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को उसके मोबाइल नम्बर/ईमेल पर User Id एवं Registration Number प्राप्त होगा।

(5) पंजीकृत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु "**Examination**" शीर्षक के अन्तर्गत लिंक बटन **Sign In** द्वारा प्रवेश करें एवं लिंक बटन **Click Here For Online Application Form** को खोले।

(6) ऑनलाइन आवेदन हेतु CJ-JD-2015 के सम्मुख "**Click Here**" पर जाएं एवं **Continue** करे।

(7) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Reset** पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरे। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर Click करे।

(9) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (जो 10 KB से कम न हो व 40 KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG Format (जो 10 KB से कम न हो व 20 KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

(10) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Update** पर Click करे तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर Click करें।

(11) ''आप का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है'', का संदेश प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख ले।

(12) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान की प्रिंटआउट निकाल लें।

(13) आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। **उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।**

17. शुल्क :– प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को बैंक चालान के माध्यम से निम्नलिखित शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हेतु	रू0 150/–
02	अनुसूचित जाति (एस0सी0) / अनुसूचित जनजाति (एस0टी0) / पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों हेतु	रू0 60/–

उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा–**सामान्य या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, के होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

नोट :– आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी State Bank Of India (SBI) की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

आवेदन पत्र की प्रिन्ट आउट प्रति इत्यादि आयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑन लाईन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेगें।

18. मुख्य परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के विषय में कुछ सूचनाएं :–

(1) आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित किये जाने की दशा में, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक परीक्षा एवं ''कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा'' के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो ''कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा'' में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन नहीं किया जायेगा।

(2) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा–

(i) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करता है तो उसके आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा '**अबस**' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा '**कखग**' लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता हैं।

(ii) प्रश्न–पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

(iii) अभ्यर्थी प्रश्न–पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न–पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न–पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

(iv) अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) ''क्रास'' करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर–पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चेक किया जायेगा।

(v) प्रश्न पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर–पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर–पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।

(vi) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

(1) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(2) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।

(3) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(4) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिहन/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।

(5) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।

(6) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।

(7) उत्तर पुस्तिका में अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।

(8) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(9) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।

(10) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या **'अबस'** एवं पते के स्थान पर ABC या **'कखग'** के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(11) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य लिखित परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा में बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया हैं। आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित न किये जाने की दशा में अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक बाद में आवंटित किये जायेंगे।

(4) मुख्य लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, तथा ''कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा'' में 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, परन्तु यह कि मुख्य लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले तथा ''कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा'' में 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

(5) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिये गये निर्देशानुसार बैंक चालान के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क (सामान्य/उत्तराखण्ड़ के अ0पि0व0 के अभ्यर्थियों के लिए 250.00 रू0, उत्तराखण्ड़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/पूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100.00 रू0) भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

(6) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क तथा अपने शैक्षिक योग्यता के दावे के समर्थन में स्वप्रमाणित अंक पत्र, प्रमाण पत्र, डिग्री व आरक्षण प्रमाण–पत्र आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ पूर्व में किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रेषित करने होंगे। यदि वे अपने दावों के समर्थन में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के समय या उससे पूर्व अपने सेवा नियोजक द्वारा निर्गत ''**<u>अनापत्ति प्रमाण–पत्र' मूल रूप में</u>** प्रस्तुत करना होगा।

(8) अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के समय या व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) से पूर्व उपलब्ध कराये गये आवेदन–पत्र को भरना होगा। मूल प्रमाण–पत्रों की आवश्यकता, जाँच के लिए साक्षात्कार के समय होगी। उसी समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहाँ उन्होंने शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(9) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

<u>नोट :</u> अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में किये जाने वाले अपने समस्त दावे की पुष्टि में प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे दावों की पुष्टि में समस्त प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करते है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

19. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules–2013** और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण नियमावली–2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन) एवं तृतीय संशोधन 2015 आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(3) **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।**

(4) **परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।**

(5) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(6) मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(8) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(9) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(10) यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(11) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग अथवा मुख्य परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(12) अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर लिखने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जाएगा।

(13) **परम्परागत प्रकार** की परीक्षा में नान–प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग, प्रश्न पत्र के निर्देशों के अधीन, अनुमन्य है। यह भी ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

(14) **वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा** और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन ई–मेल से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(15) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

(16) परीक्षा भवन में आचरण :– परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(17) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:–** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(18) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही :– अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(20) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, ,या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शाररिक क्षति पहुॅचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो , उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक

(i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(21) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression):–** सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर–पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(22) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा–

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र।

(ख) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ **परिशिष्ट–3** में प्रकाशित किया गया है।

(ग) क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(23) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(24) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(25) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक चौथाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा। दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा।

(26) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(27) परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश–पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(28) न्यूनतम अर्हक अंक– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 (प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014 एवं तृतीय संशोधन–2015) के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा–

(पी.सी. डंडरियाल)
प्रभारी सचिव।

<u>परिशिष्ट–1</u>

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी, उनके नाम व कोड इस प्रकार हैः–

क्रम सं०	नगर (जिला)	नगर कोड
1	हल्द्वानी (नैनीताल)	01
2	देहरादून (देहरादून)	02
3	हरिद्वार (हरिद्वार)	03

परिशिष्ट–2
परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रमः

(क) प्रारम्भिक लिखित प्रवेश (स्क्रीनिंग) परीक्षा हेतुः–प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र दो भागों में विभाजित किये जायेंगे। भाग–एक 50 अंक तथा भाग–दो 150 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा तीन घंटे की होगी, जिसमें निम्नवत विषय होंगे–

भाग–1 :–सामान्य ज्ञानः– भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन–प्रतिदिन की घटनाएं सम्मिलित की जायेंगी। प्रश्न मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले परन्तु ये यहीं तक ही सीमित नहीं होंगे।

Part I--General knowledge-- It will include day today happenings around India and the world particularly in the legal spheres. The questions may relate mainly to international law, neutrality, recent legislation pronouncement particularly Indian Constitution, law and development and legal aspects but it will not be confined to this only.

भाग–2 :– **इसमें निम्नलिखित अधिनियम और विधियां सम्मिलित होंगीः–** सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, हिन्दू विधि के सिद्धान्त व मुस्लिम विधि के सिद्धांत, साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता , भारतीय दण्ड संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता।

Part II-- It will cover the following Acts and Laws-Transfer of Properties Act, Principle of Hindu laws and Principle of Muslim laws, Evidence Act, Code of Criminal Procedure, Indian Penal Code, Civil Procedure Code.

(ख) मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) हेतुः– इस परीक्षा में 3 घंटे की अवधि के निम्नलिखित प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र के कुल अंक उसके सम्मुख दर्शाये गए हैंः–

1. वर्तमान परिदृश्य	150 अंक
2. भाषा	100 अंक
3. विधि प्रश्न–पत्र–I (मुख्य विधि)	200 अंक
4. विधि प्रश्न–पत्र–II (प्रक्रिया और साक्ष्य)	200 अंक
5. विधि प्रश्न–पत्र–III (राजस्व और दाण्डिक)	200 अंक
6. व्यक्तित्व परीक्षा	100 अंक

1. वर्तमान परिदृश्य :– यह प्रश्न पत्र भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, पर अभ्यर्थियों के ज्ञान की प्रतिक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यतया वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र की और उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे जो मुख्यतः विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम विधायन एवं विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विधि और विकास पर आधारित होंगे।

2. भाषा :– अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जायेगा और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उसका अनुवाद न्यायालय में बोली जाने वाली सामान्य भाषा देवनागरी लिपि में करें – 30 अंक

उसी प्रकार हिन्दी के एक प्रस्तर की सामान्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की अपेक्षा की जायेगी – 30 अंक

साथ ही साथ एक अंग्रेजी लेखन की भी परीक्षा होगी। –40 अंक

3. **विधि प्रश्न–पत्र–I (मुख्य विधि)** :– संविदा विधि, भागीदारी विधि, सुखाचार और अपकृत्य विधि से संबंधित विधि, संपत्ति के अन्तरण से संबंधित, जिसमें साम्य का सिद्धान्त भी सम्मिलित है, साम्य का सिद्धान्त न्यास और विनिर्दिष्ट अनुतोष, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि के विशेष संदर्भ तक प्रश्नपत्र सीमित होगा।

4. **विधि प्रश्न–पत्र–II (प्रक्रिया और साक्ष्य) :–** इसमें साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें अभिवचन के सिद्धान्त भी सम्मिलित है, का क्षेत्र समाहित होगा। प्रश्न पत्र में मुख्यतः व्यवहारिक मामलों, जैसे आरोप और विवाद्यक बनाना, साक्षियों से साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लिखना ओर मामलों को सामान्यतः व्यवहृत करना आदि होगा परन्तु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं होगा।

5. **विधि प्रश्न–पत्र–III (राजस्व और दाण्डिक) :–** उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम (जैसा की उत्तराखण्ड में लागू हैं) तथा भारतीय दण्ड संहिता।

टिप्पणी :– अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वह विधि के समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर देते समय नवीनतम निर्णय तथा महत्वपूर्ण मामलों को उनमें उल्लिखित करें।

The examination will include the following question papers of 3 hours, each question paper will carry the number of marks shown against it :

Subject		Marks
1. The Present Day		150
2. Language		100
3. Law : Paper I -	Substantive Law	200
4. Law : Paper II -	Evidence & Procedure	200
5- Law : Paper III -	Revenue & Criminal	200
6. Viva-Voce		100

(1) **The Present Day-** This paper is designed to test the candidate's knowledge of the reactions to what is happening in India and the world generallay at the present day, particularly in the legal sphere and also his power of expression in English. Question, the answers to whitch should be in essay form will relate mainly to jurisprudence, international law, neutrality, recent legislation, particularly-Indian Constitutional law and developments, especially on their legal aspect and so on but will not be confirmed to them. Credit will be given both for substance and expression; conversely deduction will be made for bad expression, including faults of grammer, misuse of words etc.

(2) **Language-** A passage in English will be set and the candidate will be required to translate it into the ordinary language spoken in the courts, using the Devanagri script ....Marks 30

Likewise a passage of Hindi will be required to be translated in ordinary English language .... Marks 30

There will be English Precis writing also ....Marks 40

(3) **Law: Paper I-** Substantive Law-- The questions set will be restricted to the field covered by--

The Law of Contracts, the Law of Partnership, the Law Concerning casements and torts, the Law relating to transfer of property, including the principles of equity specially applicable thereto, the principles of equity, with special refernece to the Law of Trust and specific relief. Hindu Law and Mohammedan Law.

(4**) Law : Paper II-** Evidence and Procedure**-** The field will be that covered by the Law of Evidence, the Criminal Procedure Code and Code of Civil Procedure, including the principles of pleading. The questions set will relate mainly to practical matters, such as the framing of charges and issues the methods of dealing with the evidence of witness, the writing of judegment and the conduct of cases generally but will not be restricted to them.

(5**) Law : Perper III**- Revenue & Criminal - U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act (as applicable in Uttarakhand) and Indian Penal Code.

(ग) <u>व्यक्तित्व परीक्षा</u> **100 अंक**

व्यक्तित्व परीक्षा :– न्यायिक सेवा में सेवायोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता उसके विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखों और उसके बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में देखी जायेगी। उसके सम्मुख जो प्रश्न रखे जायेंगे वह सामान्य प्रकृति के होंगे और यह आवश्यक नहीं होगा कि वे शैक्षिक अथवा विधिक प्रकृति के ही हों।

टिप्पणी :– (1) व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको में जोड दिये जायेंगे।

(2) आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी अभ्यर्थी को, जिसने विधि प्रश्नपत्रों में निर्धारित अंक प्राप्त न किये हों, जैसा व्यक्तित्व परीक्षण में आमंत्रित करने के लिए आवश्यक हों अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का पर्याप्त ज्ञान न हों, व्यक्तित्व परीक्षा के लिए आमंत्रित करने से मना कर सकते है।

(घ) <u>कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा हेतु :–</u>

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office (अधिकतम अंक–100, न्युनतम अर्हकारी अंक–40, निर्धारित समय–01 घन्टा)

दिये गये पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिन्दु से एक प्रश्न लेते हुए प्रश्न पत्र बनाये जायेंगे–

(1)Windows and internet (2) M.S.- Word (3) M.S.- Access (4) M.S.- Excel and (5) M.S.- Power Point. प्रश्न पत्र में कुल 05 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 05–05 खण्ड/क्रियाएं सम्मिलित होंगी, जिसे कम्प्यूटर पर संचालित करना होगा। प्रत्येक खण्ड/क्रिया हेतु 4 अंक निर्धारित हैं। आउटपुट का प्रिंट लेकर उसका मूल्यांकन किया जायेगा।

<u>परिशिष्ट–3</u>
उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर ....
दिनांक : पूरा नाम ....
मुहर : पदनाम ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की . ... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर ....
दिनांक : पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट /तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम....................................
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी ....
(सील) ....